न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. रतन पिता तारूजी लोहार, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. गणेश पिता पुनमा नाई (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती बसन्ती पुत्री स्वर्गीय गणेश नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/2. श्रीमती ककूबाई पुत्री स्वर्गीय गणेश नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. बाबुलाल पिता स्वर्गीय गणेश नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. श्रीमती सविता पुत्री स्वर्गीय गणेश नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/5. कांतीलाल पिता स्वर्गीय गणेश नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/6. श्रीमती हुरज पुत्री स्वर्गीय गणेश नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. कुना पिता पुनमा नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. शंकर पिता पुनमा नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती सुकी बेवा डूंगर नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. अमृतलाल पिता डूंगर नाई (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती बसन्ती पत्नी अमृतलाल नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/2. राजू पुत्र अमृतलाल नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. पंकज पुत्र अमृतलाल नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. गीता पुत्री अमृतलाल नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/5. प्रवीणा पुत्री अमृतलाल नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर हाल तहसीलदार बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 24.07.2001, प्र. सं. 2/98

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री अमृतलाल पंचाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1, 2

---::---

निर्णय **दिनांक 10–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का एक वाद प्रस्तुत गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–07–2001 को स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 153/2003 पेश की जो इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24–12–2004 से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2001 को निरस्त किया गया।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2004 के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे माननीय राजस्व मण्डल अपने निर्णय दिनांक 22–04–2014 स्वीाकर कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया, जिसकी पालना में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 30–05–2016 से अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2001 को निरस्त किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2004 को यथावत रखा गया, जिसके विरूद्ध पुनः वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 01–11–2017 को स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2016 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में पुनः वर्तमान प्रकरण संख्या 16/2017 दर्ज किया गया एवं उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी एवं एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 30—05—2016 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—12—2004 को यथावत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24—07—2001 को अपास्त किया गया था, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा पुनः माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—05—2016 को अपास्त किया गया एवं प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, किन्तु पक्षकारान द्वारा ऐसे कोई नये तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 30—05—2016 में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो। तद्नुसार अपील में कोई नये तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूर्व में पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24—07—2001 निरस्त की जाती है तथा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30—05—2016 को यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10—02—2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰** ....

रतन पिता तारूजी लोहार, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **श्रीमती सुकी बेवा डूंगर नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं॰...........**16/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**डूंगरपुर**.......... मुकाम................मुवर्खे..........**...24**..............माह..............**07**.............**2001**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**10**.....माह........**02**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अमृतलाल पंचाल** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री शैलेष भण्डारी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2001 निरस्त की जाती है तथा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2016 को यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**10**......माह.......**02**...........**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: